

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

~~प्रत्येक उपयोग के संबंधित वन संरक्षक से नामकीट और शर्त~~

16. परियोजना या स्कीम की अवधिति ~~प्रत्येक उपयोग के संबंधित वन संरक्षक से नामकीट और शर्त~~

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र ~~उत्तराखण्ड~~

~~अरम्भोड़ा~~

(ii) जिला

(iii) जिला वन प्रभाग ~~उत्तराखण्ड वन प्रभाग अरम्भोड़ा~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

2.70

17. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः

~~प्रत्येक उपयोग भूमि स्थल वन पंचाप्त वृक्ष~~

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

~~चीड़ टुक~~

(i) वन का प्रकार ~~उमोषन कोरस्ट~~

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व : 2

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना ~~संलग्न है~~

(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा ~~कोई नहीं~~

19. भूक्षण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी ~~भूक्षण को संभाल~~

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: ~~200.00 मीटर~~

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता: ~~विशेष नहीं~~

(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा: ~~महत्वपूर्ण लंगड़ी विशेष~~

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिंजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास

गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिंजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अविरहित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(iv) क्या पूर्वेक्षण के लिए उपयोगित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अविरहित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) ~~नहीं~~

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे ~~नहीं~~

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अविरहित है (यदि ऐसा है, तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यौरा दें) ~~नहीं~~

23. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियों दें: ~~उत्तराखण्ड छोटे पर्वतीय हेठु पृष्ठ से अंगर अस्तुर छोटा है~~

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। ~~आपरिहार्य रूप से न्यूनतम वन वृक्ष है~~

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। **चौथे**

24. किए गए अतिकरण के ब्यौरे :

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकरण में किसी कार्य को किया गया है
(हाँ/ नहीं)

(ii) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकरण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकरण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकरण के ब्यौरे और अतिकरण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही **चौथे**

(iii) क्या अतिकरण में कार्य अब भी प्रगति में है **(हाँ/ नहीं)**

25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :

(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः **क्षतिपूरक रखें सोजम लेन भूमि**

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संचया क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें **क्षतिपूरक रखें सोजम लेन भूमि**

(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं। **संलग्न हैं**

(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यान्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **संलग्न है।**

(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हाँ/ नहीं)

26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ/ नहीं)

27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रत्यावर के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों **स्वीकृति संस्कृति की जारी है।**

स्थान: **आर्जोड़ा**

तारीख: २०-०८-२०१५

M
(**कृष्ण उक्तर प्रजापति**)
हस्ताक्षर
प्रमाणीय वनोक्तिकारी
अल्मोड़ा वन प्रबोग, अल्मोड़ा